न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला–गंगापुर सिटी

मु.नं. : 23/2024	तारीख रजू 27.05.2024	निर्णय दिनांक 05.06.2024

सरकार बनाम फरजाना बेगम वगैरा

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गंगापुर सिटी ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि फरजाना बेगम पत्नि असलम व जरीना बेगम पत्नि शहाबुद्दीन जाति मुसलमान निवासी इस्लामपुरा गंगापुर सिटी ने ग्राम मिर्जापुर के खसरा नं. 215 में कुल रकबा 0.03 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता पर संवत् 2081 में अनाधिकृत रूप से पुख्ता चारदीवारी कर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायलान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर पृथक–पृथक जबाव इस आशय पेश किया कि प्रार्थियान को नोटिस गलत जारी किया गया है जबकि उनका गै0मु0 रास्ता ख0नं0 215 पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है तथा पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थियान की गैरमौजूदगी में उक्त रिपोर्ट बनाई है। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

उपस्थित पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान द्वारा भी अपने जबाव में उक्त भूमि में कोई अतिक्रमण नहीं करना अवगत कराया है। उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा ख0नं0 215 में रकबा 0.03 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता चारदीवारी बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। उभय पक्ष को सुना गया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 1.45/– की 50 गुना शास्ति 73/–रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जब्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर"घ" के पेज संख्या ....
पर रुपये 73/– की कायमी वर्ष
2024–25 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार